

**प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी) के भुगतान किये जाने**  
**संबंधी प्रमाणपत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस मुरादाबाद लिमिटेड द्वारा सी एल गुप्ता से स्टोनमैन क्राफ्ट नेशनल हाईवे 09 के कि० मी० चैनेज 136.48 से 141.78 कि० मी० तक दायीं पटरी पर गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 0.3182 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या - एफ० एन० 5-3 / 2007 ( एफ० सी० डिवीज़न) दिनांक 5-2-2009 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि हस्तांतरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु नेट प्रेजेंट वैल्यू की दरों के अनुसार धनराशि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की धनराशि को टोरेंट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा) वन विभाग उ०प्र० को ई - पेमेंट पोर्टल से उतपन्न ई - चालान के माध्यम से भुगतान कर दिया जायगा।

*Prabhat*  
  
22/12/20

(प्रभाषकुमार)  
प्रबंधक  
टोरेंट गैस मुरादाबाद लिमिटेड  
मुरादाबाद